रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 592] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 10, 2003/अग्रहायण 19, 1925
No. 592] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 10, 2003/AGRAHAYANA 19, 1925

श्रम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 2003

सा.का.नि. 936(अ).—औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) केन्द्रीय नियम, 1946 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित प्रारूप नियम, औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 (1946 का 20) की धारा 15 की उपधारा (1) की यथा अपेक्षानुसार श्रम मंत्रालय की अधिसूचना. सं. सा.का.नि. 327 तारीख 4 सितम्बर, 2003 द्वारा भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 13 सितंबर, 2003 को पृष्ठ 2037 से 2040 पर प्रकाशित किए गए थे जिसमें उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति पर या उससे पूर्व, उससे संभाविल रूप से प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और उक्त राजपत्र की प्रतियाँ जनता को 13 सितंबर, 2003 को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और उक्त प्रारूप पर जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर सम्यक रूप से विचार कर लिया गया है ;

अतः अब केन्द्रीय सरकार औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 (1946 का 20) की उक्त धारा की उपधारा (2) के खंड (क) और खंड (ख) के साथ पठित धारा 15 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) केन्द्रीय नियम, 1946 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :

(1) (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) केन्द्रीय (संशोधन) नियम, 2003 है।

(2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

(2) औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 की अनुसूची में मद 1 में, 'अथवा बदलियों' शब्दों के स्थान पर 'बदलियों अथवा नियत अवधि नियोजन' शब्द रखे जायेंगे ।

(3) औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) केन्द्रीय नियम, 1946 में,-

(क) नियम 5 में, मद (4) के पश्चात निम्नलिखित मद अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात: -

"(4 क) नियत अवधि नियोजन कर्मकारों की संख्या".

(ख) अनुसूची 1 में , --

(i) पैरा 2 में उपपैरा (क) में, मद (3) और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात निम्नलिखित मद अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात :-

"(3क) नियत अवधि नियोजन",

(ii) पैरा 2 में, उप-पैरा (छ) के पश्चात निम्नलिखित उपपैरा अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(ज) कोई "नियत अवधि नियोजन " कर्मकार एक ऐसा कर्मकार है जिसे नियत अवधि के लिए ठेकागत नियोजन आधार पर लगाया गया है। तथापि, उसके कार्य के घंटे, मजदूरी, भत्ते और अन्य फायदे किसी स्थायी कर्मकार से कम नहीं होंगे। वह, स्थायी कर्मकार के लिए उपलब्ध सभी कानूनी लाभों को भी उसके द्वारा की गई सेवा की अवधि के अनुसार आनुपातिक रूप से प्राप्त करने का पात्र होगा, भले ही उसकी नियोजन की अवधि कानून में अपेक्षित अर्हक नियोजन की अवधि तक नहीं बढाई जाती है।"

(iii) पैरा 13 में उपपैरा 2 के स्थान पर निम्नलिखित उपपैरा रखा जाएगा अर्थात्: -

"(2) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) के उपबंधों के अध्यधीन, कोई भी अस्थायी कर्मकार चाहे वह मासिक मजदूरी दर पर, या साप्ताहिक मजदूरी दर पर या मात्रानुपातिक दर पर हो, और ठेकागत नियोजन का नवीकरण न होने अथवा इसके समाप्त हो जाने के परिणामस्वरूप कोई भी परिवीक्षाधीन अथवा बदली अथवा नियत अवधि नियोजन कर्मकार किसी सूचना या उसके बदले में वेतन का हकदार नहीं होगा, यदि उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाती हैं किन्तु फिर भी अस्थायी कर्मकार की सेवाएं दंड के रूप में तब तक समाप्त नहीं की जायेगी जब तक उसे अपने विरूद्ध अभिकथित कदाचार के आरोपों को पैरा 14 में विहित रीति से स्पष्ट करने के लिए अवसर न दे दिया गया हो ।"

(ग) अनुसूची 1क में , -

(i) पैरा 3 में, उप-पैरा (क) में, मद (ii) के पश्चात निम्नलिखित मद अंतःस्थापित की जाएगी अर्थात्: -

" नियत अवधि नियोजन ; " ;

(ii) पैरा 3 में, उपपैरा (छ) के पश्चात निम्नलिखित उपपैरा अंतःस्थापित किया जायेगा ; अर्थात :

"(ज) कोई "नियत अवधि नियोजन " कर्मकार एक ऐसा कर्मकार है जिसे नियत अवधि के लिए ठेकागत नियोजन आधार पर लगाया गया है। तथापि, उसके कार्य के घंटे, मजदूरी, भत्ते

और अन्य फायदे किसी स्थायी कर्मकार से कम नहीं होंगे। वह, स्थायी कर्मकार के लिए उपलब्ध सभी कानूनी लाभों को भी उसके द्वारा की गई सेवा की अवधि के अनुसार आनुपातिक रूप से प्राप्त करने का पात्र होगा, भले ही उसकी नियोजन की अवधि कानून में अपेक्षित अर्हक नियोजन की अवधि तक नहीं बढाई जाती है।"

(iii) पैरा 13 में, उप-पैरा (ख) के स्थान पर निम्नलिखित उपपैरा रखा जाएगा अर्थात्: -

"(ख) औद्योगक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) के उपबंधों के अधीन रहते हुए , -

(i) अस्थायी और बदली कर्मकार के मामले में नियोजन समाप्त किये जाने के लिए कोई सूचना आवश्यक नहीं होगी ।

(ii) नियत अवधि नियोजन आधार पर नियोजित कोई कर्मकार ठेकागत नियोजन के नवीकरण न होने अथवा इसकी समाप्ति के परिणामस्वरूप, किसी सूचना या उसके स्थान पर वेतन का हकदार नहीं होगा यदि उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाती हैं।

[फा. सं. एस-11025/13/2003-आई.आर.(पी.एल.)]

जे. पी. पति, संयुक्त सचिव

नोट :—मूल नियम अधिसूचना संख्या एल आर 11(37) तारीख 18 दिसम्बर, 1946 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका निम्नलिखित द्वारा और संशोधन किया गया :

(i) सा.का.नि. सं. 208 तारीख 31-1-1954
(ii) सा.का.नि. सं. 556 तारीख 24-2-1956
(iii) सा.का.नि. सं. 557 तारीख 30-4-1959
(iv) सा.का.नि. सं. 655 तारीख 3-6-1960
(v) सा.का.नि. सं. 1166 तारीख 28-6-1963
(vi) सा.का.नि. सं. 1123 तारीख 18-7-1967
(vii) सा.का.नि. सं. 1573 तारीख 10-10-1967
(viii) सा.का.नि. सं. 1732 तारीख 12-5-1967
(ix) सा.का.नि. सं. 824 तारीख 30-6-1975
(x) सा.का.नि. सं. 30(अ) तारीख 17-1-1983
(xi) सा.का.नि. सं. 386 तारीख 5-11-1999

MINISTRY OF LABOUR

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th December, 2003

G.S.R. 936(E).— Whereas certain draft rules further to amend the Industrial Employment (Standing Orders) Central Rules, 1946 were published as required by sub-section (1) of Section 15 of the Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946 (20 of 1946) in the Gazette of India, in part II, Section 3, sub-section (i) dated the 13th September, 2003, at pages 2037-2040 vide the notification of the Ministry of Labour No. G.S.R. 327 dated 04th September 2003, for inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby on or before the expiry of a period of forty five days from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas copies of the said Gazette was made available to the public on the 13th September, 2003;

And whereas the objections and suggestions received from the public on the said draft have been duly considered;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 15 read with clauses (a) and (b) of sub-section (2) of the said section of the Industrial Employment (Standing Order) Act, 1946 (20 of 1946) the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Industrial Employment (Standing Orders) Central Rules, 1946, namely,: -

1. (1) These rules may be called the Industrial Employment (Standing Orders) Central (Amendment) Rules, 2003.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946, in item 1, for the words "or badlis" the words "badlis or fixed term employment" shall be substituted.

3. In the Industrial Employment (Standing Orders) Central Rules, 1946,-

(a) In rule 5, after item (4) the following item shall be inserted, namely:-
"(4A) Number of fixed term employment workmen";

(b) In Schedule 1,-

(i) in paragraph 2, in sub-paragraph (a), after item (3) and the entry relating thereto, the following item shall be inserted, namely:-

"(3A) fixed term employment";

(ii) in paragraph 2, after sub-paragraph (g), the following sub-paragraph shall be inserted, namely:-

"(h) A 'fixed term employment' workman is a workman who has been engaged on the basis of contract of employment for a fixed period. However, his working hours, wages, allowances and other benefits shall not be less than that of a permanent workman. He shall also be eligible for all statutory benefits available to a permanent workman proportionately according to the period of service rendered by him even though his period of employment does not extend to the qualifying period of employment required in the statute."

(iii) in paragraph 13, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-

"(2) Subject to the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), no temporary workman whether monthly rated or weekly rated or piece rated, and no probationer or badli or fixed term employment workman as a result of non-renewal of contract of employment or on its expiry, shall be entitled to any notice or pay in lieu thereof, if his services are terminated, but the services of a temporary workman shall not be terminated as a punishment unless he has been given an opportunity of explaining the charges of misconduct alleged against him in the manner prescribed in paragraph 14."

(c) In Schedule IA –

(i) in paragraph 3, in sub-paragraph (a), after item (iii) the following item shall be inserted, namely:-

"(iiiA) fixed term employment";

(ii) in paragraph 3, after sub-paragraph (g), the following sub-paragraph shall be inserted, namely:-

"(h) A 'fixed term employment' workman is a workman who has been engaged on the basis of contract of employment for a fixed period. However, his working hours, wages, allowances and other benefits shall not be less than that of a permanent workman. He shall also be eligible for all statutory benefits available to a permanent workman proportionately according to the period of service rendered by him even though his period of employment does not extend to the qualifying period of employment required in the statute."

(iii) in paragraph 13, for sub-paragraph (b), the following sub-paragraph shall be substituted , namely:-

"(b) Subject to the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), -

(i) no notice of termination of employment shall be necessary in the case of temporary and badli workmen;

(ii) no workman employed on fixed term employment basis as a result of non-renewal of contract of employment or on its expiry, shall be entitled to any notice or pay in lieu thereof, if his services are terminated".

[F. No. S-11025/13/2003-IR(PL)]

J.P. PATI, Jt. Secy.

Note : Principal rules were published in the Gazette of India vide notification No. LR 11 (37) dated the 18th December, 1946 and were further amended by: -

(i) GSR No. 208 dated 31.01.1954
(ii) GSR No. 556 dated 24.02.1956
(iii) GSR No. 557 dated 30.04.1959
(iv) GSR No. 655 dated 3.6.1960
(v) GSR No. 1166 dated 28.6.1963
(vi) GSR No. 1123 dated 18.7.1967
(vii) GSR No. 1573 dated 10.101967
(viii) GSR No. 1732 dated 12.5.1967
(ix) GSR No. 824 dated 30.6.1975
(x) GSR No. 30 E dated 17.1.1983
(xi) GSR No. 386 dated 5.11.1999

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.